जी मो 082-367 दि 17/4/10

संख्या– 634/15–7–2018

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 16 अप्रैल, 2018

विषयः– **प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से वसूल किये जा रहे मनमानी शुल्क पर औचित्यपूर्ण नियंत्रण के संबंध में प्रख्यापित उ0प्र0 स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या–6 सन्, 2018 पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।**

प्रति कार्यवाही

महोदय,

प्रदेश के छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराने की उद्देश्य पूर्ति तथा प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से वसूल किये जा रहे मनमाने शुल्क को विनियमित किये जाने की नितान्त आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत छात्र हित में विधायी अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–861/79–वि–1–18–2(क)–6–2018, दिनांक 09 अप्रैल, 2018 द्वारा उ0प्र0 स्ववित्त पोषित स्वतन्त्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया गया है, जिसकी प्रतियाँ शासन के पत्रांक 595(2)/15–7–2018, दिनांक 10 अप्रैल, 2018 द्वारा आपको पूर्व में ही भेजी जा चुकी हैं। अध्यादेश की धारा–8(1) के अनुसार निम्नलिखित मण्डलीय शुल्क नियामक समिति के गठन का प्राविधान है :

(अवध नरेश शर्मा)
निदेशक (मा0)
उ0प्र0 लखनऊ
17/4/18

(1) राज्य के प्रत्येक मण्डल में मण्डलीय शुल्क नियामक समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगाः

(क)	मण्डलीय आयुक्त	–अध्यक्ष
(ख)	मण्डलीय आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट	–सदस्य
(ग)	मण्डलीय आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण अभियंता से अन्यून स्तर का कोई अभियन्ता	–सदस्य (पदेन)
(घ)	मण्डल आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक राज्य वित्त एवं लेखा सेवा का वरिष्ठ अधिकारी	–सदस्य (पदेन)

2

(ङ.)	मण्डल आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट मण्डल में स्थित किसी विद्यालय के अभिभावक शिक्षक ऐसोसिएशन का अभिभावक	**—सदस्य**
(च)	मण्डल आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्तपोषित विद्यालय का कोई विख्यात प्रधानाचार्य / प्रबन्धक / प्रशासक	**—सदस्य**
(छ)	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	**—सदस्य— सचिव (पदेन)**

2— कृपया शासन द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 में उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने मण्डल में मण्डलीय शुल्क नियामक समिति का गठन करके समिति गठन की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि अध्यादेश के अनुसार मण्डलीय शुल्क नियामक समिति द्वारा अध्यादेश की धारा—8 के अन्तर्गत ऐसी शिकायतें ही सुनी जायेंगी जिनको विद्यालय के प्रधान द्वारा 15 दिनों के अन्दर निस्तारण नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लें कि मण्डलीय समिति द्वारा अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन किसी भी दशा में किसी अन्य को नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

/

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0संख्या—634(1) / 15—7—2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2 शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) / (बेसिक)उ0प्र0 लखनऊ।
3— अपर शिक्षा निदेशक निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4 सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5— समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष कुमार रावत)
उप सचिव।